भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2565

(जिसका उत्तर सोमवार, मार्च 17, 2025/ फाल्गुन 26, 1946 (शक) को उत्तर दिया जाना है)

एमओओडब्ल्यूआर योजना

2565. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री गोदाम नागेश:
श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री जसवन्तसिंह सुमनभाई भाभोर:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री बलभद्र माझी:
श्री रवींद्र शुक्ला उर्फ रवि किशन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीबीआईसी द्वारा कार्यान्वित वेयरहाउस विनियमन (एमओओडब्ल्यूआर) योजना में विनिर्माण और अन्य संचालन का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना में निर्माताओं के लिए प्रमुख लाभ क्या हैं;

(ग) देश में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़, में उक्त योजना का लाभ उठाने वाली इकाइयों/संगठनों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लघु और मध्यम उद्योगों को प्रदान किए जाने वाले विशेष लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 में यह प्रावधान है कि किसी भी गोदाम में रखे माल का मालिक ऐसे माल के संबंध में गोदाम में कोई भी विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य संचालन कर सकता है। सीबीआईसी ने तदनुसार सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के तहत, वेयरहाउस में विनिर्माण और अन्य संचालन (सं.2) विनियम, 2019 (एमओओडब्ल्यूआर) को अधिसूचना संख्या 69/2019-सीमा शुल्क दिनांक 01.10.2019 के माध्यम से अधिसूचित किया है और संचालन के लिए शर्तें और प्रक्रिया निर्धारित करते हुए परिपत्र संख्या 34/2019-सीमा शुल्क दिनांक 01.10.2019 जारी किया है।

(ख) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IX के प्रावधानों के अनुसार, जब शुल्क योग्य इनपुट या पूंजीगत सामान किसी गोदाम में लाया जाता है, तो ऐसे गोदाम में रखे माल पर सभी सीमा शुल्क, ब्याज के बिना, निकासी तक स्थगित हो जाते हैं।

(ग) वर्तमान में देश में कुल दो हजार सात (2007) इकाइयां एमओओडब्ल्यूआर योजना का लाभ उठा रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में, कुल सात (07) इकाइयों को गोदाम में विनिर्माण प्रक्रिया या अन्य संचालन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 65 के अनुसार अनुमति दी गई है।

(घ) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अध्याय IX के अनुसार आस्थगित शुल्क के प्रावधान भारत में स्थित सभी श्रेणी के उद्योगों के लिए उपलब्ध हैं।

*****